(TO BE SUBSTITUTED BEARING THE SAME ORDER NO. AND DATE)

अति आवश्यक/तिथिबद्ध

प्रेषक,

निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
शिक्षा सदन, सैक्टर 5, पंचकुला।

सेवा में

सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
हरियाणा।

यादी कमांक 7/44–2016 HRM-II-(5)
दिनांक, पंचकुला। 20.09.2016

विषयः **वर्ष 2016 में TGT and C&V अध्यापको के स्थानान्तरण मामले की Online प्रकिया प्रारम्भ करने बारे।**

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में ।

नई स्थानान्तरण नीति अनुसार अध्यापकों के स्थानान्तरण करने का मामला विभाग/सरकार के विचाराधीन है। इसके लिए विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि जो अध्यापक 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नही करते है और अपना स्थानान्तरण अन्य स्थान पर करवाना चाहते है वे हाँ(Yes) के विकल्प के जरिये online अपनी इच्छा जरूर व्यक्त करे।

अतः आपको निर्देश दिये जाते है कि अपने अधीन सभी TGT/C&V के संज्ञान मे यह ला दें कि जिन अध्यापको का कार्यकाल एक क्षेत्र या विद्यालय मे अभी 5 वर्ष का नही हुआ है और वह स्थानान्तरण का विकल्प लेना चाहते है। तो वह MIS Portal पर अपने ID मे Login करके हाँ का विकल्प दे दें। 5 वर्ष का ठहराव पूरा नही करने वाले अध्यापक जो हाँ का विकल्प देगें सिर्फ उन्हे ही स्थानान्तरण के लिए विचारा जाऐगा। हाँ का विकल्प न देने वाले ऐसे अध्यापको को स्थानान्तरण के लिए विचारा नही जाएगा।

आपसे अनुरोध है कि आप सभी TGT/C&V को यह भी बतां दें कि यह विकल्प दिनांक 25.09.2016 तक ही खुला रहेगा तथा विकल्प देने के लिए अध्यापक का सेवा प्रोफाईल पूर्ण होना आवश्यक है। तदोपरान्त जिला, क्षेत्र व विद्यालय चुनने के लिए अलग से Schedule जारी किया जायेगा जिसमे एक क्षेत्र या एक विद्यालय मे 5 वर्ष पूर्ण करने वाले अध्यापक, नवपदोन्नत अध्यापक व स्थनान्तरण के लिए हाँ

का विकल्प चुनने वाले अध्यापक व पदो के पुर्नविभाजन के कारण सरपल्स हुए अध्यापक क्षेत्र (Zone) व विद्यालयों की वरीयता अनुसार विकल्प चुन सकेंगे।

आपको यह भी निर्देश दिये जाते है कि यह सुनिश्चित करे कि मुखिया उनके अधीन कार्यरत सभी कर्मचारियों द्वारा प्रोफाईल मे बदलाव हेतु किये गये निवेदन को भी स्वीकार या अस्वीकार करे तथा यह सुनिश्चित करे कि किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी का प्रोफाईल मे बदलाव का निवेदन (profile correction request) या 'sent profile for approval' request unattempted न रहे। निर्देशो की उल्लघना की स्थिति मे संबधित मुखिया अनुशासनात्मक कार्यवाही अवश्य होगी।

स्थानान्तरण के लिए हाँ का विकल्प देने हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न है।

कृप्या इसे उच्च प्राथमिकता देवें।

नोटः– ESHM इस प्रक्रिया में भाग नही लेंगे, उनके स्थानान्तरण के लिए अलग से निकट भविष्य में प्रावधान होगा।

संयुक्त निदेशक मास्टर
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।

पृष्ठाकन कमांकः– सम | दिनांक पंचकूला 22.09.2016

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. वरिष्ठ सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव विद्यालय शिक्षा हरियाणा। पी0ए0/निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला।
2. पी0ए0/निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला।
3. पी0ए0/निदेशक एससीईआरटी, हरियाणा गुड़गाव।
4. पी0ए0/अतिरिक्त निदेशक प्रशासन।
5. पी0ए0/संयुक्त निदेशक मीड डे मील।
6. Technology Officer IT Cell (DSE & DEE)

संयुक्त निदेशक मास्टर
कृतेः निदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकुला।